

दूरभाष सं० 05922- 252037(कार्यालय)
फैक्स सं० 05922-252037,252105
ई-मेल-edcamroha1@gmail.com
edcamroha@yahoo.com,
CIN:U31200UP2003SGC027458



कार्यालय अधीक्षण अभियन्ता
विद्युत वितरण मण्डल, अमरोहा
पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम लि०
निकट न्यू कलैक्ट्रेट, जोया रोड,
अमरोहा ।

प्रथम/द्वितीय प्रति

पत्रांक:- 4621 /वि०वि०मं०अ०/टी०-1(जन०)/विज्ञापन /

दिनांक 26/10/2023

सेवा में,

1-विज्ञापन व्यवस्थापक,
दैनिक जागरण,मुरादाबाद ।

2-विज्ञापन व्यवस्थापक
अमर उजाला,मुरादाबाद ।

महोदय,

- 1-कृपया निविदा सूचना एक बार अपने प्रतिष्ठित दैनिक समाचार पत्र में दिनांक 28.10.2023 तक कम से कम स्थान में (हिन्दी भाषा के समाचार पत्रों के लिए 08-10 प्वाइन्ट टाइप में तथा अंग्रेजी भाषा के समाचार पत्रों के लिए 06-08 प्वाइन्ट टाइप के समाचार पत्र केवल एक कॉलम में) प्रकाशित करने की व्यवस्था करें । हेडिंग व नीचे का नाम व पता यथासम्भव एक ही लाइन में रनिंग मेटर के रूप में कम से कम स्थान में प्रकाशित करें ।
- 2-कृपया संलग्न निविदा सूचनाओं का प्रकाशन निविदा हेतु निर्धारित पृष्ठ पर करने की व्यवस्था सुनिश्चित करें ।
- 3-प्रकाशन के बाद विज्ञापन आदेश की प्रथम मूल प्रति प्रकाशन हेतु प्रेषित सामग्री की मूल प्रति के साथ, विज्ञापन शुल्क का बीजक तीन प्रतियों में अग्रिम भुगतान प्राप्ति रसीदी टिकट सहित प्रकाशित विज्ञापन की दो सम्पूर्ण वाउचर प्रतियों संलग्न करते हुए भुगतान हेतु प्रबन्ध निदेशक पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम लि०,मेरठ/अद्योहस्ताक्षरी को (जहां भुगतान क्षेत्रीय स्तर पर होना है) प्रेषित करें । विज्ञापन आदेश की प्रथम प्रति के स्थान पर फोटो प्रति प्रेषित करने पर सत्यापन/भुगतान सम्भव नहीं होगा ।
- 4-संलग्न हिन्दी/ अंग्रेजी भाषा की विज्ञापन सामग्री का प्रकाशन अंग्रेजी भाषा के समाचार पत्र में अंग्रेजी भाषा में तथा हिन्दी समाचार पत्र में केवल हिन्दी भाषा में ही किया जाये ।
- 5-विज्ञापन प्रकाशित होते ही विलम्बतः एक सप्ताह के अन्दर प्रकाशित विज्ञापन की एक कटिंग अद्योहस्ताक्षरी को सूचनार्थ भेज दी जाये अन्यथा संबंधित बीजक का सत्यापन/भुगतान नहीं किया जायेगा ।
- 6-यदि आपको सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, उत्तर प्रदेश तथा विज्ञापन एवं दृश्य प्रचार निदेशालय,भारत सरकार द्वारा विज्ञापन दरे स्वीकृत न हो तो कृपया विज्ञापन का प्रकाशन न करें तथा अद्योहस्ताक्षरी को अविलम्ब इस आशय की सूचना देने का कष्ट करें ।
- 7-विज्ञापन के अन्त में सबसे नीचे छोटे टाइप में राष्ट्र हित में बिजली बचाये का नारा तथा विज्ञापन आदेश की संख्या व दिनांक अवश्य प्रकाशित करें
- 8-उक्त निर्देशों के विपरित तथा गलत अथवा भद्दे ढंग से प्रकाशित किये गये विज्ञापनों में कारपोरेशन द्वारा नियमानुसार आवश्यक कटौती की जा सकती है ,अथवा सम्पूर्ण बीजक का भुगतान रोक/निरस्त किया जा सकता है ।

संलग्नक:-निविदा सूचना-प्रथम एवं द्वितीय प्रति ।

पत्रांक 4621 /वि०वि०मं०अ०/टी०-1(जन०)/तददिनांक 26/10/2023

प्रतिलिपि विज्ञापन सामग्री सहित निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- 1-प्रबंध निदेशक,पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम लि०,विक्टोरिया पार्क,मेरठ ।
- 2-मुख्य अभियन्ता,मुरादाबाद क्षेत्र,पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम लि०,देहली रोड,मझौला, मुरादाबाद ।
- 3-सहायक जनसम्पर्क अधिकारी,पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम लि०,विक्टोरिया पार्क,मेरठ ।E-mail-promrt@gmail.com
- 4-अधिशाली अभियन्ता,विद्युत वितरण खण्ड,अमरोहा-प्रथम/द्वितीय/गजरौला-प्रथम/द्वितीय/परीक्षण खण्ड,अमरोहा ।
- 5-सूचना पट हेतु ।

संलग्नक:-निविदा की प्रति ।

भवदीय,

अधीक्षण अभियन्ता

पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम लि०
विद्युत वितरण मण्डल अमरोहा

सूचनार्थ भेज दी जाये अन्यथा

विज्ञापन दरे स्वीकृत न हो तो

कारपोरेशन द्वारा नियमानुसार आवश्यक कटौती की जा

सकती है ,अथवा सम्पूर्ण बीजक का भुगतान रोक/निरस्त किया जा सकता है ।

विज्ञापन दरे स्वीकृत न हो तो

कारपोरेशन द्वारा नियमानुसार आवश्यक कटौती की जा

सकती है ,अथवा सम्पूर्ण बीजक का भुगतान रोक/निरस्त किया जा सकता है ।

विज्ञापन दरे स्वीकृत न हो तो

कारपोरेशन द्वारा नियमानुसार आवश्यक कटौती की जा

सकती है ,अथवा सम्पूर्ण बीजक का भुगतान रोक/निरस्त किया जा सकता है ।

विज्ञापन दरे स्वीकृत न हो तो

कारपोरेशन द्वारा नियमानुसार आवश्यक कटौती की जा

सकती है ,अथवा सम्पूर्ण बीजक का भुगतान रोक/निरस्त किया जा सकता है ।

विज्ञापन दरे स्वीकृत न हो तो

कारपोरेशन द्वारा नियमानुसार आवश्यक कटौती की जा

सकती है ,अथवा सम्पूर्ण बीजक का भुगतान रोक/निरस्त किया जा सकता है ।

विज्ञापन दरे स्वीकृत न हो तो

कारपोरेशन द्वारा नियमानुसार आवश्यक कटौती की जा



पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम लि०

वि० वि० खण्ड -द्वितीय, गजरौला के अधीनस्थ विद्युत वितरण उपखण्ड-रहरा के कार्यालय के संचालन हेतु मासिक किराये पर एक भवन की एक वर्ष हेतु आवश्यकता है, के लिए अल्पकालीन ई निविदा विशिष्टीकरण सं० 46/2023-24 के अंतर्गत ई टेण्डरिंग के माध्यम से आमंत्रित है। वि० वि० खण्ड-प्रथम, अमरोहा के अधीनस्थ उपकेन्द्र कलैक्ट्रेट से निर्गत घनसूरपुर ए कुमार एवं पप्पसरा फीडर से पोषित ग्राम मोहनपुर जानिब पो० पप्पसरा में मध्य गंगा नहर के संरेखण में आ रहे 11केवी /एल०टी० की विद्युत लाईन को शिफ्ट करना एवं उपकेन्द्र सूदनपुर से निर्गत 11केवी कलाली फीडर से पोषित ग्राम कूबी पोस्ट पप्पसरा में विद्युत लाईन को शिफ्ट करने के लिए अल्पकालीन ई निविदा विशिष्टीकरण सं० 47/2023-24 के अंतर्गत ई टेण्डरिंग के माध्यम से आमंत्रित है। वि० वि० खण्ड-द्वितीय, अमरोहा के अंतर्गत उपकेन्द्र अमरोहा-99 से निर्गत 11केवी टाउन 02 फीडर से पोषित मौ० चाहगौरी में स्थापित परिवर्तकों की विद्युत आपूर्ति को अण्डरग्राउण्ड लाईन को ओवरहेड करने संबंधी कार्य के लिए अल्पकालीन ई निविदा विशिष्टीकरण सं० 48/2023-24 के अंतर्गत ई टेण्डरिंग के माध्यम से आमंत्रित है। यह निविदा www.etender.up.nic.in पोर्टल पर दिनांक 09.11.2023 को समय 14.00 बजे तक अपलोड की जा सकेगी तथा निविदा का प्रथम भाग दिनांक 10.11.2023 को समय 16.00 बजे को खोला जायेगा। उक्त प्रत्येक निविदाओं की धरोहरराशि एवं निविदा शुल्क एवं निविदा विशिष्टीकरण व अन्य नियम, शर्तें तथा निर्धारित तिथि के विस्तार तथा शुद्धि पत्र से संबंधित सूचना केवल www.etender.up.nic.in/www.pvvn.org पर उपलब्ध होंगे।

अधीक्षक अभियन्ता

पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम लि०

विद्युत वितरण निगम लि० अमरोहा

दिनांक 09/11/2023

उपकेन्द्र अमरोहा-99

को अण्डरग्राउण्ड लाईन

के अंतर्गत ई टेण्डरिंग

09.11.2023 को समय

16.00 बजे को खोला

अन्य नियम, शर्तें तथा

www.pvvn.org

वि० वि० खण्ड-द्वितीय

अधीक्षक अभियन्ता

पश्चिमांचल विद्युत वितरण

निगम लि० अमरोहा

दिनांक 09/11/2023

उपकेन्द्र अमरोहा-99

को अण्डरग्राउण्ड लाईन

के अंतर्गत ई टेण्डरिंग

09.11.2023 को समय

16.00 बजे को खोला

अन्य नियम, शर्तें तथा

www.pvvn.org

वि० वि० खण्ड-द्वितीय

अधीक्षक अभियन्ता

पश्चिमांचल विद्युत वितरण

निगम लि० अमरोहा

दिनांक 09/11/2023

उपकेन्द्र अमरोहा-99

को अण्डरग्राउण्ड लाईन

के अंतर्गत ई टेण्डरिंग

09.11.2023 को समय